

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
 विश्वविद्यालय के बान से सी किया जावे न
 कि किसी अन्य पदाधिकारी के बान से।
 संबंधित विषय पर चाहे पूर्ण में पञ्च
 व्यवहार दुआ हो तो पन क्रांक एवं दिलाक
 अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
 दूरभाष : (0751) 2341896
 (0751) 2442829
 फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषण :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५२१।

दिनांक: १७/०८/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध जैन इंस्टीट्यूट, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित श्री.एड. पाठ्यक्रम कक्ष/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसार्ण प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्गत निनानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) ग्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक) (0751-2442868)
- (2) ग्रो. आर.ए. शर्मा, आचार्य, पुणातव अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. रघिम शर्मा, प्राचार्य, संतानोदी मानसिंह शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेट्स तथा पिछले सत्र में गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसार्ण अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्वर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधायित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जगा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जगा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

निरीक्षण का गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देवी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल की भ्रेज दी जायेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बहीं करता है तो समिति स्वतः विस्तर हो जायेगी और पुनः निरीक्षण का गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड रुपय रु. 25,000/- जगा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्बज्ञ किया जायेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीकारी / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुत्रियता से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ई.ए. / ई.ए. मानदेव महाविद्यालय द्वारा देव होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संचालित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्वर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, संतपुत्रा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)